D:\Amar Singh G\Letter, 2011.doc- 312 -

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/53656-87 जयपुर, दिनांकः 5/7/12

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– वर्षा ऋतु के दौरान पूरक पोषाहार के सुरक्षित भण्डारण एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसाकि आपको विदित है वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने वाली है। वर्षा ऋतु के दौरान पूरक पोषाहार बेबी मिक्स/पंजीरी (सत्तू)/हलवा प्रीमिक्स/उपमा प्रीमिक्स को सुरक्षित रखने के लिए उसका उचित भण्डारण किया जाना आवश्यक है। उचित भण्डारण नहीं किये जाने की स्थिति में पोषाहार के खराब होने की पूर्ण सम्भावना रहती है एवं पोषाहार लाभान्वितों के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं रह पाता है।

वर्षा ऋतु के दौरान पोषाहार का भण्डारण सूखे, स्वच्छ, हवादार एवं प्रकाश युक्त पक्के स्थान पर तथा खुले पोषाहार को कंटेनर में ही रखा जाना सुनिश्चित करावें। यद्यपि पूरक पोषाहार की आपूर्ति पाउचों में प्राप्त की जा रही है तथापि परिवहन के दौरान किसी पाउच के फट जाने अथवा लीक होने की स्थिति में उसका वितरण लाभान्वितों को नहीं किया जावें। इसके अतिरिक्त पोषाहार आपूर्तिकर्ता फर्म से पूरक पोषाहार प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि पोषाहार के बैग/पाउच वर्षा के कारण भीगे न हों। पोषाहार के बैग/पाउच भीगे होने पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जावे। ऐसे आंगनबाडी केन्द्र जिन पर वर्षा ऋतु के दौरान पोषाहार की आपूर्ति/परिवहन बाधित होने की सम्भावना हो उन आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित कर पूरक पोषाहार की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उसके सुरक्षित रूप से भण्डारण की व्यवस्था की जावे ताकि लाभान्वितो को पोषाहार की आपूर्ति बाधित न हो। आप अपने अधीनस्थ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस हेतु पाबन्द करें।

इसे प्राथमिकता देवें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

कमांक–एफ. 4(1)पोषा/विविध/ICDS/2012/53690-54380 जयपुर, दिनांकः 5/7/12

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. मुख्य कार्यकारी जिला परिषद, समस्त।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर